

01.07.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। आवेदक / अभियुक्तगण राहुल, बृजेश व गोपाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिए जाने का कथन करते हुए, तत्सम्बन्धित पृष्ठांकन अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र व आदेशपत्र के हांशिए पर अंकित किया गया है।

तद्विस्तार प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, अभियुक्तगण की तरफ से बल न दिए जाने के आधार पर, निरस्त किया जाता है।

(विकास कुमार-1)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D. No. UP 1910